HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Revision Petition No. 332/2026

Anil Goyal Son Of Murari Lal, Resident Of Near Ganga Mandir, Police Station Mathura Gate, District Bharatpur (At Present Confined In Central Jail Bharatpur)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through P.p.

----Respondent

For Petitioner(s) : श्री पियूष नाग
For Respondent(s) : श्री श्रीराम धाकड़, लोक अभियोजक

HON'BLE MR. JUSTICE VINOD KUMAR BHARWANI

Order

27-02-2026

याची की ओर से प्रार्थना पत्र संख्या–01/2026 प्रस्तुत कर कार्यालय द्वारा पत्रावली में इंगित आक्षेप को वेव किए जाने की प्रार्थना की गई है ।

सुना गया ।

प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व कारणों को दृष्टिगत रखते हुए पत्रावली में कार्यालय द्वारा इंगित आक्षेपों को वेव किया जाता है ।

याची/अभियुक्त की ओर से **अपीलीय न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश, डकैती प्रभावित क्षेत्र, भरतपुर, राजस्थान** द्वारा दाण्डिक अपील संख्या–**30/2026, अनिल गोयल बनाम राजस्थान राज्य** में पारित आदेश दिनांक **04.02.2026** से व्यथित होकर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है ।

बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता याची–अभियुक्त का तर्क रहा है कि याची को विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय व दण्डादेश दिनांक 19.12.2014 के अनुसार दो साल के साधारण कारावास से दण्डित किया गया है जिसके विरूद्ध उसके द्वारा अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी । अपीलीय

न्यायालय द्वारा याची का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया था। उनका यह भी निवेदन है कि याची अपीलीय न्यायालय के समक्ष लगातार उपस्थित होता रहा है तत्पश्चात् उसके अनुपस्थित होने के कारण उसके विरूद्ध गिरफ्तारी वारण्ट जारी हुआ था तथा याची वर्तमान में दिनांक 31.01.2026 से अभिरक्षा में है। याची का सजा स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 04.02.2026 को निरस्त कर दिया गया है । उनका यह भी निवेदन है कि याचिका स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय का आदेश दिनांक 04.02.2026 अपास्त किया जावे तथा याची को जमानत का एक और अवसर प्रदान किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक ने विरोध किया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया, पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए यह निगरानी याचिका स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है ।

परिणामतः याची–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 04.02.2026 को अपास्त किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि याची/अभियुक्त इस मामले में विद्वान अपीलीय न्यायालय के संतोषप्रद 50,000/– रूपए (**अक्षरे पचास हजार रूपये)** का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं 25,000–25000/–रूपए (**अक्षरे पच्चीस–पच्चीस हजार रूपये)** की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां इस आशय की प्रस्तुत कर दे कि वह अपीलीय न्यायालय में दिनांक **27.03.2026** को एवं तत्पश्चात् जब भी उसे आदेशित किया जावे, उपस्थित होता रहेगा, तो याची/अभियुक्त **अनिल गोयल पुत्र मुरारीलाल** को अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

निगरानी याचिका के साथ प्रस्तुत यदि कोई प्रार्थना पत्र लंबित हैं, तो वे भी इसी अनुसार निस्तारित किए जाते हैं ।

(VINOD KUMAR BHARWANI),J

Rishikesh Soni/153sos